शिष्टमंडल आज प्रातः आया था। आज, अब वे विशेष कक्ष में बैठे हुए हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास प्रफुल्लमय और लाभदायक हो। उनके माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति, संसद, सरकार तथा फ्रांस गणतन्त्र की स्नेही जनता का भी हार्दिक अभिवादन करते हैं और उन्हें शुभकामना देते हैं।

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामुला) : श्रीमन्, कुछ आरोप···

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बैठ जाइए। क्या आपकी कोई नीति भी हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : श्रीमन्, केवल तीन मिनट, जम्मू और कश्मीर के लोगों, पर आरो प लगाए गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बता चुका हूं कि मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा लेकिन इस समय नहीं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : बस दो मिनट।

अध्यक्ष महोदय : इस समय नहीं। बाद में, मैं आपको अनुमति दूंगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : आप इनको दो मिनट दे सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : प्रोफेसर, आप नहीं समझते हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती **इन्दिरा गांधी**) : हमारे पड़ोस में पंजाब और हरियाणा में हुई दुर्भाग्यपूर्ण और दुःखांत घटनाओं पर परसों ही हमने लम्बी चर्चा की थी। तब मुझे ऐसा आभास हुआ था कि हम सब इस बात पर सहमत हैं कि हमें इस देश में एक ऐसा वातातरण पैदा करने का प्रयास करना चाहिए जो विभिन्न तत्वों को एक साथ मिलकर काम करने में सहायक हो। और यह केवल तभी किया जा सकता है जब सभी साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों, जातिवादी प्रवृत्तियों, पृथक्तावादी और विखंडनशील प्रवृत्तियों के विरुद्ध लड़ने के लिए हम सब संयुक्त हो जाएं। दुर्भाग्यवश, ऐसा लगता है कि सभा के कुछ सदस्यों पर उस दिन के वाद-विवाद का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा।

राष्ट्रपति का अभिभाषण में मूलरूप से इन विषयों पर विचार नहीं किया गया हैं यद्यपि यही पृष्ठ भूमियां हैं और बहुत महत्वपूर्ण हैं और मैं उन विषयों पर बाद में आऊंगी। मैंने इसका उल्लेख केवल इसलिए किया क्योंकि जब मैं बोलने को खड़ी हुई तो बार-बार शोर मचाया गया, यदि कोई वक्तव्य देना चाहता हैं तो मुख्यमंत्री उन प्रश्नों का उत्तर देने में पूर्णतः समर्थ हैं, जो हमने उनसे पूछ हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : किन्तु इस सभा के सदस्य को भी अधिकार हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आपसे बात नहीं कह रही हूं, मैं अध्यक्ष से बात कर रही हूं।

अध्यक्ष महोदय, इस सभा में हम लोग जो इस ओर, सरकारी पक्ष में बैठे हैं, प्रशंसा नहीं चाहते हैं किन्तु हम यह अवश्य कहते हैं कि जो तथ्य स्पष्ट हैं, उस पर वाद-विवाद नहीं हो सकता है।

मैं बहुत अधिक विस्तार में जा सकती हूं किन्तु सौभाग्य से मेरे साथी, वित्त मंत्री ने कल बजट प्रस्तुत किया है और उन्होंने बहुत विस्तृत आंकड़े दिए है । अतः मुझे उनका उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है । किन्तु मैं कुछ बातें दोहराने जा रही हूं, जो वह कह चुके हैं । यहाँ हालांकि मेरे कुछ मित्र ऊब जायेंगे।

16.00

अब इस वर्ष और पिछले चार वर्षों की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वर्ष प्रति वर्ष हमारे विकास में बहुत वृद्धि हुई है और यह वृद्धि न केवल वस्तुगत रूप से है वरन् इसमें शामिल लोगों की अधिक संख्या और बहुत से वर्गों की विशेष तौर पर सहायता की गयी है। छठी योजना में सकल देशी उत्पाद (जी० डी० पी०) 5.2 प्रतिशत होने की आशा है, जो सभी योजनाओं में उच्चतम है। वित्तीय रूप से योजना परिव्यय वर्ष प्रति वर्ष काफी बढ़ता जा रहा हैं । इस वर्ष यह पिछले वर्ष की तुलना में 25% अधिक होगा । हमारी राजस्व और वित्त सम्बन्धी ठोस नीतियों से विकास के लिए अच्छा वातावरण तैयार हुआ किन्तु हम अपने कार्यक्रमों के जोरदार कार्यान्वयन पर भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं ताकि सभी वर्गों की क्रय शक्ति बढ़ सके, विशेष रूप से निर्धन वर्ग और मध्यवर्ग की कठिनाई कम हो सके।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या यह भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, मैं भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में ही बता रही हूं । यदि आप इतनी अधिक विदेश यात्राएं नहीं करते रहें तो शायद इस बारे में और अधिक जान पाते।

जहां तक लाभ पहुंचाने की बात है, हमें देखना चाहिए कि हम विभिन्न वर्गों के लिए क्या-क्या करने में समर्थ रहे हैं । किन्तु मैं केवल दो या तीन सबसे अधिक अभावग्रस्त वर्गों के बारे में ही विस्तार से बताऊंगी । मुझे यह सुनकर आश्चर्य हुआ था जब मेरे पुराने मित्र श्री बनारसीदास कह रहे थे कि किसानों की क्रय शक्ति कम हो गयी है। सच्चाई यह है कि अधिकतर किसान अधिक से अधिक मात्रा में विभिन्न आधुनिक आदानों का प्रयोग कर रहे हैं और अधिक उत्पादन करने में सक्षम हो रहे है, मैं इस आरोप का खंडन करती हूं। आवश्यकता है कि आप किसान को 1977-79 के दौरान और 1980 से अब तक मिलने वाले लाभ की तुलना करें। मैं उन आंकड़ों को पढ़ना चाहूंगी।

कृषिक वस्तुओं के खरीद और समर्थन मूल्य में भी हम पर्याप्त बृद्धि करते रहे हैं। जनवरी 1980 से, गेहूं के खरीद और समर्थन मूल्य में 32.2 प्रतिशत, धान 38.9 प्रतिशत, दालों में 40.71 प्रतिशत, कपास 44 प्रतिशत, मूंगफली 66 प्रतिशत वृद्धि हुई है । गन्ने के मूल्यों को कम नहीं होने दिया गया है और जब कभी भी हमें थोड़ा सा भी संदेह हुआ है कि वहां कोई परेशानी हो सकती है हमने तुरन्त आगे आकर उन्हें समर्थन मूल्य दिया है। सीधी सहायता के रूप में, 1983 में हमने

उर्वरकों के मूल्य में 7.5 प्रतिशत कमी की है, हमने अल्प अवधि ऋण को 47 प्रतिशत तथा दीर्घ और मध्य अवधि-ऋण को 27 प्रतिशत बढ़ाया है । किसानों, विशेषकर छोटे और सीमांत किसानों तथा भूमिहीन श्रमिकों पर हमारा ध्यान केन्द्रित रहा है। यह स्पष्ट है कि हम सब अपने बहुमूल्य जीवन के लिए उसके उत्पादन के ऋणी हैं । वास्तव में, मैं सोचती हूं कि यह कहना अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं है कि हमारी सरकार और विशेषकर इस सरकार ने उनके लिए पहले की तुलना में काफी अधिक किया है ।

हम प्रायोगिक आधार पर फसल बीमा योजना आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं । सिंचाई और शुष्क बारानी खेती की मुझे विशेष चिंता है और सिंचाई के बारे में मैं कुछ आंकड़े देना चाहती हूं। 1981-82 में 22 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई की गयी थी । 1982-83, 1983-84 और 1984-85 में प्रति वर्ष यह 23 लाख हैक्टेयर हैं ।

इन चार वर्षों के दौरान 90 लाख हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र की सिंचाई के अन्तर्गत लाया गया । और यह कहना सर्वाधिक अनुचित आलोचना है कि हम वार्षिक लक्ष्य से कुछ प्रतिशत नीचे रह गए है । मैं स्वीकार करती हूं । अपने लक्ष्यों को काफी ऊंचा रखा था । यदि सूखा नहीं पड़ता तो मुझे पक्का विश्वास है कि हम लक्ष्य को भी पार कर जाते ।

जहां तक बारानी खेती का सम्बन्ध है, बारानी खेती के लिए एक राष्ट्रीय योजना बनाई गयी थी और उसे आरंभ किया गया था, 4000 से अधिक पनधाराओं का पता लगाया गया और उस क्षेत्र में उनके लिए जो भी फसल, व्यवसाय उपयुक्त है, उनकी व्यवस्था की गई । एक माननीय सदस्य ने खाद्यान के आयात के बारे में कहा—हो सकता है एक से अधिक सदस्यों ने कहा हो जैसे कि यह कोई बड़ा रहस्य था, जिसे हम छिपा रहे थे और उन्होंने इसे प्रकट कर दिया हो । श्रीमन्, इस बारे में मैं खुल्लमखुल्ला और सार्वजनिक रूप से बता चुकी हूं ।

जैसा कि आप जानते हैं, हम किसी मजबूरी में खाद्यान का आयात नहीं कर रहे थे वरन् प्रचुरता के बारे में सतर्क रहते हुए कर रहे थे। इसमें कोई नयी बात नहीं है। मैं पिछली बार इस पर बोल चुकी हूं कि हम अनाज का आयात करते हैं। दोनों अवसरों पर, हमने अनाज उस समय खरीदा था जब दूसरे देशों में अनाज की कीमत बहुत कम थी । मानसून और मौसम की भविष्य-वाणियों जो भी हों, हमें सावधान रहना होगा और किसी परेशानी अथवा सूखे की दशा होने के लिए तैयार रहना होगा । जैसा 1966 में हुआ था, वैसी मांगने की स्थिति अब हमारी नहीं होनी चाहिए । मैं सभी को पुनः स्मरण कराना चाहती हूं कि 1966 में, जब मैं प्रधान मंत्री बनी थी तब अकाल था—सूखा नहीं वरन अकाल था । जब मैंने बिहार, महाराष्ट्र और तत्कालीन मैसूर राज्य का दौरा किया था, मुख्य बात केवल यह हैं कि किसानों ने मुझसे कहा था, "राहत की परवाह मत कीजिए, किसी अन्य बात के बारे में भी परेशान मत होइए। किन्तु ऐसा कुछ अवश्य कीजिए ताकि यदि भविष्य में सूखा पड़े, तो हम उसका मुकाबला करने में समर्थ हो ।" अत उस समय से, यही मेरी मुख्य चिंता रही है। अब, 1982-83 में, सूखा पड़ा था, मैं सोचती हूं जो बहुत बुरा था और जिससे सैकड़ों जिले प्रभावित हुए । इसका प्रभाव जनता द्वारा अनुभव नहीं किया गया था और विपक्ष को, जैसा वह चाहते थे, शोर-शराबा करने का अवसर नहीं मिल पाया था ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यह इसलिए हुआ क्योंकि पहले अच्छा काम किया गया था ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह इसलिए हुआ कि हमने संकट का सामना करने हेतु सफलतापूर्वक प्रबंध किया। हां, आंतरिक खरीद से बने अच्छे रक्षित भण्डार भी थे और हमने 1982-83 में 40 लाख टन तथा 1983-84 में 27 लाख टन खाद्यान्न आयात कर उसमें और वृद्धि कर दी। पिछले वर्ष इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि इस वर्ष मानसून क्या करवा लेगा। अतः जैसे कुशल गृहिणी अपनी घरेलू चीजों के बारे में पहले से सावधान रहती है, उसी प्रकार पहले से सावधानी रखने का यह भी एक उदाहरण है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : बच्चों को छोड़कर।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब, मैं कुछ विशेष श्रेणियों का उल्लेख करूँगी। ऐसा नहीं हैं कि यह श्रेणियाँ अन्य श्रेणियों की तुलना में अधिक विशेष है जैसा कि किसी ने कहा है अन्य की तुलना में अधिक बराबर हैं। मैं सोचती हूं, हम सब बराबर हैं। किन्तु कुछ श्रेणियों के लोग शताब्दियों से कष्ट उठा रहे है। मैं यहाँ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अपने कार्यक्रमों की बात नहीं कर रही हूं क्योंकि उस बारे में विस्तृत चर्चा हो चुकी है, उस सम्बन्ध में आंकड़े जाने-पहचाने हैं और उस बारे में इस सभा में प्रश्नोत्तर होते रहे है। मैं उन लोगों के बारे में कह रही हूँ जो जाने पहचाने नहीं हैं। इनमें एक श्रेणी मछुआरों की है। हमने मछुआरों की 5,331 सहकारी समितियाँ बनायी हैं। हम उन्हें नाव और उपस्कर खरीदने के लिए ऋण दे रहे हैं। हमने प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की है। समुद्र तट से 5 कि०मी का क्षेत्र हमने पारम्परिक तरीके से मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए सुरक्षित कर दिया है ताकि जो अब तट से दूर जाकर गहरे समुद्र में मछली पकड़ते हैं उनसे निर्धन मछुआरों के हितों को कोई क्षति न पहुँचे। हमने अवसंरचनात्मक सुविधाएँ विकसित की हैं—सड़कें, स्कूल और कल्याण-कार्य आदि फसल बीमा योजना भी है। दुर्घटना बीमा के प्रीमियम की 50% अदायगी सम्बन्धी एक योजना को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है बाकी 50% राज्यों द्वारा दिया जाएगा। इस योजना के लिए 1983-84 में 39 लाख रुपये प्रदान किए गए हैं।

यह योजना अब समुद्री और अंतः स्थलीय क्षेत्रों दोनों पर लागू है। मूलतः हमने इसकी घोषणा केवल समुद्री क्षेत्र के लिए की थी। कुछ महीने पहले हमारा ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया कि छोटे मछुआरे जो नदियों और नहरों में मछली पकड़ते हैं, इससे वंचित रह गए हैं इसलिए हमने उनको भी सम्मिलित कर लिया।

हमने राज्यों को एक प्राकृतिक आपका विपति राहत विधि बनाने के लिए कहा है।

हमारे देश में गरीब लोगों में से काफी संख्या बुनकरों की है हम हथकरघा उत्पादन को बढ़ावा देने में विश्वास रखते हैं। यह न केवल लाखों लोगों की जीविकोपार्जन का साधन है अपितु एक प्राचीन भारतीय परम्परागत व्यवसाय भी है जिस पर हमें गर्व है और हम इसके परम्परागत सौन्दर्य को बनाए रखना चाहते हैं ; 1978-79 में इस क्षेत्र में जहाँ 12.6 करोड़ वर्ग मीटर कपड़ा तैयार हुआ वहां 1983-84 में 35 करोड़ वर्गमीटर कपड़ा तैयार होने की संभावना है।

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए भी एक विशेष योजना बनाई गई है जिसकीं शर्तें काफी उदार है सहकारिताओं को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। छठी योजना के आरंभ में जहां सहकारिताओं का क्षेत्र केवल 30 प्रतिशत था वहां 1983-84 में उसके 52 प्रतिशत होने की आशा है।

1979-80 के 16 करोड़ रुपये की वार्षिक परिव्यय को 1984-85 में बढ़ाकर 33 करोड़ रुपये किया जा रहा है।

कई माननीय सदस्यों ने बेरोजगारी की समस्या के सम्बन्ध में विचार व्यक्त किए हैं। बेरोजगारी की समस्या हम सबके लिए गंभीर चिन्ता का विषय है। हमने इस संबंध में पहले भी कार्यक्रम बनाए और हम अब भी उन पर बल दे रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं जैसाकि एक माननीय सदस्य ने कहा कि विकास के सभी कार्यक्रम जनसंख्या में वृद्धि के कारण प्रभावी नहीं हो पा रहे। हमारी नियमित योजनाओं के अतिरिक्त जिनसे इन सभी वर्गों को लाभ होगा माननीय सदस्यों को याद होगा कि हमने इन योजनाओं में से एक 20 सूत्रीय कार्यक्रम तैयार किया। इन 20 सूत्रों को योजनाओं में से निकालने का उद्देश्य उनके प्रति अधिक ध्यान देना था क्योंकि हमने महसूस किया कि इन कार्यक्रमों पर अत्यधिक ध्यान देने की आवश्यकता है अन्यथा संभवत अनजाने में बड़े कार्यक्रमों की आड़ में वह कहीं पीछे पृष्ठभूमि में ही न रह जाएँ।

बीस सूत्री कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य अधिक उत्पादन, कमजोर वर्गों की प्रत्यक्ष सहायता विशेष-कर ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर प्रदान करना है। किसी भी कार्यक्रम ने जनता में इतना उत्साह और आशा नहीं जगाई। किन्तु क्या यह संतोषजनक रूप से कार्य कर रहा है? मैं यह स्वीकार करती हूं कि नहीं। किन्तु इसका प्रभाव पड़ रहा है और मेरे विचार में किसी भी कार्यक्रम से यही अपेक्षा की जाती है। हमारी भावनाएँ कितनी अच्छी ही क्यों न हों और कितना ही धन हमारे पास हो, यद्यपि हमारे पास समुचित धन नहीं है, हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में और ज्यादा से ज्यादा लोगों को उसका लाभ पहुँचाने के लिए केवल यथासंभव प्रयास कर सकते हैं।

अगले वर्ष इस कार्यक्रम के लिए रखे गए धन में 47 प्रतिशत वृद्धि की जाएगी। जब भी हमें संसद सदस्यों, विधायकों अथवा अन्य लोगों द्वारा कार्यक्रम के सूचारू रूप से न चलाए जाने के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं हम उसकी जांच करते हैं और इस बारे में बताते हैं। राज्य सरकारें और केन्द्र सरकार इन कार्यक्रमों की देख-रेख कर रही हैं। इसके अतिरिक्त हम अपने लोगों को त्रुटियों अथवा कमियों का पता लगाने के लिए भी भेजते हैं। वह कई बार त्रुटियां पाते हैं और कई बार अंकों में विषमता पाते हैं। जैसाकि आप जानते हैं मैं इन बातों को कभी नहीं छिपाती।

यह कार्यक्रम समग्र रूप में तो ठीक ही चल रहा है परन्तु इसमें लोगों का अधिक योगदान आवश्यक है।

कई स्थानों पर जहाँ पर यह कार्यक्रम ठीक से नहीं चल रहा वहाँ इसकी वजह यह है कि लोग इस कार्यक्रम से अनभिज्ञ हैं। उन्हें अपने अधिकारों के बारे में जानकारी नहीं उन्हें यह मालूम नहीं कि वह क्या कुछ प्राप्त कर सकते हैं और निःसंदेह अगर उन्हें पता भी हो तो भी हम संभवतया 68 करोड़ लोगों की आवश्यकताओं को एक साथ पूरा नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग पहली दूसरी या तीसरी बार लाभ प्राप्ति से वंचित हो जाते है उनका निराश और हतोत्साहित होना स्वाभाविक ही है। मैं विपक्षी दलों के सदस्यों से अनुरोध करती हूं कि वह इस प्रकार की निराशा और हतोत्साह को प्रोत्साहन न दें क्योंकि यह स्वयं कार्यक्रम में ही बाधा उत्पन्न करेगा।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई-उत्तर-पूर्व) : हम कार्यक्रम में विश्वास नहीं रखते।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यही तो असली बात है। उनकी कार्यक्रम में आस्था नहीं जोकि निर्धन लोगों की सहायता करेगा। वह विश्वास नहीं करते···

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसीलिए हमें इतनी विकट स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। पिछले तीन वर्षों से उनका कहना यही है कि हमारा इन कार्यक्रमों में विश्वास नहीं है और हम योजनाओं को क्रियान्वित नहीं करना चाहते इसलिए हम इन कार्यक्रमों को ही समाप्त कर देंगे जैसाकि हमने किया ये मेरे शब्द नहीं हैं। ये उनके शब्द हैं। मैं केवल उनका उल्लेख कर रही हूं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : हमारी कार्यक्रम में आस्था है पर हमें आपकी निष्ठा पर संदेह है।

अध्यक्ष महोदय : एक बार तो उन्होंने ठीक बात कही।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : धन्यवाद।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम कार्यक्रम में विश्वास रखते हैं पर आपकी निष्ठा संदेहपूर्ण है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन आपके एक सहयोगी सहमत नहीं। आप अपनी लड़ाई अपनी बैठकों में कीजिए यहां संसद में नहीं। कृपया लड़ाई अपने सम्मेलनों में कीजिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम आपकी सरकार को भी चक्कर में डाल देंगे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अपने सम्मेलनों को ऐसे वाद-विवाद के लिए आरक्षित रखिए।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : यहां मैं आपसे सहमत हूं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : समेकित ग्रामीण विकास योजनाओं के अन्तर्गत हमने 90 लाख परिवारों को सहायता प्रदान की जिसमें 30.2 लाख अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार थे और इस वर्ष 30 लाख परिवार और इस कार्यक्रम के अंतर्गत लाए जाएंगे।

हम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम, शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्वनियोजन कार्यक्रमों का विस्तार कर रहे है।

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : शायद आप में से भी कई बाल बच्चेदार होंगे लेकिन···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : कुछ सरकारी तौर पर नहीं हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : फिर···आपकी लड़ाई आपसी हैं मेरे साथ नहीं आप सब जानते हैं कि छोटे बच्चे आंख मूंद कर यह सोचते हैं कि वह चीज गायब हो गई वह यह सोचते हैं कि अपने को छिपाने से वह चीज उनके सामने से चली जाएगी। एक कहानी भी है पर मुझे याद नहीं आ

रही कि वह हिन्दुस्तानी कहानी है या किसी अन्य देश की एक दार्शनिक था उसका भी यही विचार था कि वह आँख मूंद लेगा तो वह चीज उसकी आँखों के आगे से हट जाएगी।

श्री पी० शिवशंकर (सिकन्दराबाद) : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी की भांति।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : मैं अपनी आँखें बन्द करना चाहता हूं और आप चले जाइए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसीलिए शायद वह सभा में प्रायः नहीं आते क्योंकि वे अगर आएँ और आँखें बन्द करेंगे तो हम सब गायब हो जाएंगे।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन वे देखते नहीं।

श्रीमती इदिरा गांधी : बहरहाल, इस दार्शनिक ने एक पत्थर को ठोकर मारी और पांव पर चोट खाई।

एक माननीय सदस्य : डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी सिर पर चोट खायेंगे।

किसी ने शिकायत की है कि हमने 'काम के बदले अनाज कार्यक्रम को त्याग दिया है।

लेकिन, इस कार्यक्रम को त्यागा नहीं गया है पर यह सच है कि यह सुचारू रूप से नहीं चल रहा। जब मैं सत्ता में नहीं थी तो मैंने स्वयं कई क्षेत्रों का यह देखने के लिए जहाँ इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलना चाहिए दौरा किया किन्तु मुझे एक भी स्थान ऐसा नहीं मिला जहाँ उन्होंने कहा हो कि इन्हें वास्तव में वह प्राप्त हो रहा है जो उन्हें प्राप्त होना चाहिए और यह शिकायत···

(व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह मेरा निजी अनुभव है यह किसी की रिपोर्ट नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप पश्चिम बंगाल गई होंगी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं जा सकती थी परन्तु दुर्भाग्यवश मैं उस समय गई नहीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : पश्चिम बंगाल सबसे अच्छा है।

अध्यक्ष महोदय : क्या डा० स्वामी ऐसा कह रहे हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं पश्चिम बंगाल की बात अभी नहीं कर रही कृपया शांत रहिए बनावटी काम हो रहा था और मध्यस्थों की समस्या थी जिन्हें कि वितरण का कार्य सौंपा हुआ था और कुछ राज्यों ने अनाज बिल्कुल उठाया ही नहीं साथ ही जैसाकि आप जानते हैं कि ऐसा समय भी था जब हमारे पास अनाज का अत्यंत अभाव था।

फिर भी हमने इस कार्यक्रम को यथासंभव बनाए रखने की कोशिश की और अब हम एन. आर. ई. पी. के अन्तर्गत मजूरी के एक हिस्से के बदले एक पैमाना अनाज प्रति कार्य दिवस के लिए दे रहे है बैंकों की भी काफी आलोचना की गई है माननीय सदस्यों ने नोट किया होगा कि मैंने

भी इस मुद्दे पर आवाज उठाई है इसलिए नहीं कि कोई बैंक अच्छा कार्य नहीं कर रहा अपितु इसलिए कि कुछ बैंक अथवा कुछ व्यक्ति जो इन बैंकों में कार्यरत हैं उस प्रकार कार्य नहीं कर रहे जैसाकि उन्हें करना चाहिए। मैंने वित्त मंत्री और अन्य संबद्ध लोगों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया है और उन्हें कहा कि वह इसकी निगरानी रखें। मैंने उन लोगों से भी जिन्होंने शिकायत की है कहा है कि ढेर सारी शिकायतें लगाने के बजाय वे विशिष्ट उदाहरण दें ताकि उनकी जांच की जा सके। वे विशिष्ट दृष्टान्त अन्य लोगों के लिए मिसाल होंगे। किन्तु एक आम और अस्पष्ट शिकायत की जांच नहीं की जा सकती।

श्री रामावतार शास्त्री : मैंने विशिष्ट उदाहरण दिए थे।

विशिष्ट उदाहरणों की जांच की जा सकती है। विपक्षी दल के कई सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि पहले बैंक केवल एक बहुत सीमित वर्ग के लिए थे। बैंक धनी व्यक्तियों के लिए थे। यह एक ऐसा मामला था जिसके लिए हमारे कई साथी हमें छोड़ गए। अब बैंक सबके लिए है और विशेषकर निर्धन और मेहनती लोगों के लिए है···(**व्यवधान**) मैं यह नहीं कह रही हूं कि हर किसी को ऋण प्राप्त होता है पर उनके लिए दरवाजे खुले हैं यह एक बड़ी बात है। हम आज स्वतंत्र हैं लेकिन हमें उस किस्म की स्वतंत्रता अभी प्राप्त नहीं हुई जिसका हमने स्वप्न देखा था। लेकिन इस दिशा में कार्य करने के लिए द्वार तो खुले हैं। इसी प्रकार हम द्वार खोल रहे है, अवसर प्रदान कर रहे हैं, और हमें यह सुनिश्चित करना है कि इन कार्यक्रमों का उचित रूप में क्रियान्वयन किया जाए और इसके लिए हम आम जनता से और राजनीतिज्ञों से सहयोग की अपेक्षा करते है।

मैं इसे अपने दल और सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि मानती हूं। वास्तव में, हमारे देश के आर्थिक इतिहास में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण घटना थी और हम नहीं चाहते कि बैंक अपने कार्यों में प्रगति न करें। ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों की जमा राशियों में तथा बैंकों की शाखाओं में काफी अधिक वृद्धि हुई है। वास्तव में प्रत्येक को ऋण दे पाना हमारे लिए सम्भव भी नहीं है। यहीं पर कठिनाई उठ खड़ी होती है और ऋण देने का सही मानदंड भी यही है। एक व्यक्ति किसी खास कार्य के लिए ही ऋण लेने का अधिकारी होता है···

एक माननीय सदस्य : आपकी सिफारिश से।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमने कहा है कि जब किन्हीं विशेष कारणों से एक व्यक्ति बिल्कुल ही ऋण न दे पाने की हालत में हो, और यह कारण सही हों निस्सन्देह यह मेरा सुझाव है, मैं यह नहीं कह रही हूं कि बैंकों ने इसे स्वीकार कर लिया है--उन मामलों में इस ऋण को बट्टे-खाते में डाल दिया जाना चाहिए। लेकिन यह एक ऐसी बात है जिसके बारे में हम बैंकों को निदेश नहीं दे सकते। इस पर उनको ही अध्ययन करके फैसला करना है।

मेरा सुझाव यही था कि जहां वे बड़ी संस्थाओं द्वारा ऋण लौटाने में देरी की अनदेखी करते हैं, वहीं उन्हें यही सुविधा गरीबों को भी देनी चाहिए। मैं यही कह रही हूं। हमने यह भी कहा है कि बैंक जमा राशियों का एक बड़ा हिस्सा उन्हीं क्षेत्रों में ऋण के रूप में बांटा जाए, जहाँ से वे प्राप्त हुई हों···

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : बिहार में ऐसा नहीं हो रहा है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : कुछ लोग नहीं चाहते कि हम अपने उद्देश्यों में सफल हों। इसलिए रुकावटें डाली जा रही हैं और झूठा प्रचार किया जा रहा है जिससे कि यह ऋण बांटने के कार्यक्रम में बुराई मिले। वास्तव में एक राजनैतिक दल कई एक लोगों को लेकर बैंकों में गया और इस प्रकार के ऋण देने के लिए मांग की और जब बैंक जल्दी ही उन्हें ऋण न दे सके···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : वे सभी गरीब लोग है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे सभी गरीब लोग हो सकते हैं। लेकिन जैसाकि मैंने कहा हम भारत की 68 करोड़ जनसंख्या को ऋण नहीं दे सकते। यह तो थोड़े-थोड़े लोगों को ही दिया जा सकता है···

(व्यवधान)

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अगर मैं किसी मामले की सिफारिश करता हूं, तो बैंक इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं करते···

एक माननीय सदस्य : जब तक किसी कांग्रेस (आई) के संसद सदस्य द्वारा इसकी सिफारिश नहीं की जाती है, इस पर विचार नहीं किया जाता है।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : आपका दल ऐसा कर रहा है।

श्री जगदीश टाईटलर (दिल्ली सदर) : श्रीमन्, दिल्ली के सभी संसद सदस्यों को कहा गया था, कि 'अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्र में, आप कृपया गरीब लोगों को ऋण दें'। श्री वाजपेयी ने कभी भी, एक भी बैठक में भाग नहीं लिया और उन्होंने एक भी व्यक्ति को ऋण नहीं दिया।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मैं नई दिल्ली का प्रतिनिधित्व करता हूं।

श्री सुनील मैत्रा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : क्या अन्य दल के संसद सदस्यों को भी वही सुविधा प्रदान की जायेगी, जो कि कांग्रेस (आई) के संसद सदस्यों को प्राप्त है ?

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : यह व्यवस्था केवल दिल्ली के लिए ही है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : रामलीला में एक अन्य लीला श्री टाईटलर और अन्य द्वारा की जा रही थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इस लीला से लोगों को लाभ हुआ। इसका दुरुपयोग नहीं किया गया है। ऋण गरीब लोगों को दिये जा रहे हैं।

मुझे वह समय याद है, श्री वाजपेयी जी मुझे माफ करेंगे, जब दिल्ली के एक क्षेत्र में बाढ़ थी। उस समय उन्होंने लोगों को राशन नहीं दिया। मैं वहां स्वयं गई। जब हमने खूब शोर मचाया, प्रचार किया, तभी राशन बांटा गया। श्री वाजपेयी, यहां आप मुझे न पढ़ाइये। मैं जानती हूं मैं क्या कह रही हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : प्रधान मंत्री को बेबुनियाद आरोप लगाने की आदत है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह सही नहीं है। मैंने अपने जीवन में कभी भी झूठे आरोप नहीं लगाये हैं।

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : यह सत्य है। बाढ़ मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आई थी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि न केवल यह उस समय हुआ, बल्कि यह अन्य राज्य में भी अभी हाल ही में हुआ है। और अधिक शोर न हो, इसलिए, मैं उस राज्य का नाम नहीं ले रही हूं। लोग इसे अच्छी तरह से जानते हैं। राजनैतिक लाभ उठाने की बात एकदम मूर्खतापूर्ण है। अपने अच्छे कार्यक्रमों और उनके अच्छे परिणामों का हम राजनैतिक लाभ क्यों न उठायें ? विपक्ष अस्त-व्यस्त स्थिति से राजनैतिक लाभ उठाना चाहता है—हम ठोस कार्यों से राजनैतिक लाभ उठाना चाहते हैं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : 37 वर्षों के निरन्तर शासन के बाद भी आप राष्ट्र को एकजुट नहीं रख पाये। हम विघटनकारी हो गये ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं यहां पर विचारधारा के प्रश्न पर कुछ कहना नहीं चाहती। सारे विश्व में किसी के भी मन में यह शंका नहीं होनी चाहिए कि अगर कांग्रेस पार्टी उस समय सत्तारूढ़ न होती तो भारत एकजुट और संघटित न हो पाता।

(व्यवधान)

आप में से कुछ विपक्षी सदस्य उन दलों के साथ बैठे हैं जो कि विघटनकारी है। आप में से कुछ उस समय पैदा भी नहीं हुए थे। आप इस बारे में जानते ही क्या हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मैडम, हम लोग भी थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं आपको नहीं कह रही हूं, आप क्यों उठ जाते हो। अगर आप मेरे साथ दिल्ली की सड़कों पर होते, तो देखते कि कौन क्या कर रहा है। उनकी शक्लें मैं आज तक भूली नहीं हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : फ्रीडम मूवमेंट में हम भी थे।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं फ्रीडम मूवमेंट की बात नहीं कर रही हूं। फ्रीडम मूवमेंट के बाद की बात हो रही है। इन्द्रजीत गुप्त जी, जरा इनको समझा दीजिए। हम उस विघटन की बात कर रहे हैं जो स्वतंत्रता आन्दोलन के बाद पैदा किया गया।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हम सभी देशभक्त हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : अब हर कोई देश भक्त हो सकता है।

श्री रामावतार शास्त्री : फिर ठीक है, आप बोलिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे, जो उस समय साम्प्रदायिक दुर्भाव पैदा

कर रहे थे। मैंने अपनी इन दो आंखों से खुद देखा था कि लोग लोगों की हत्या कर रहे थे। मुझे यह न बताइये कि यह गलत है। गांधी जी ने मुझे यह कार्य सौंपा था।

कई एक ऐसे लोग हैं, जिन्हें इस बात का ज्ञान नहीं है कि उस समय क्या हुआ ; वे इतिहास नहीं जानते—काश्मीर में, दिल्ली में या भारत के अन्य स्थानों में उन वर्षों में क्या हुआ।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आप किस तरफ इशारा कर रही हैं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं किसी की तरफ इशारा नहीं कर रही हूं। मैं कह रही हूं कि कई एक ऐसे व्यक्ति हैं। मैं आपकी आयु के बारे में नहीं जानती। मैं नहीं जानती कि आप कब पैदा हुए।

श्रीमन्, एक प्रश्न जो हम सबको परेशान कर रहा है, और मैं विपक्ष द्वारा इस विषय में व्यक्त की गई चिंता का समर्थन करती हूँ वह है मूल्यों का। 'आर्थिक समीक्षा' और बजट भाषण में इस पर विस्तार से चर्चा की गई है। मेरे सहयोगी, वित्त मंत्री ने इसे ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में कहा है, लेकिन मैं यहाँ कुछ तथ्य बताना चाहती हूं।

कुछ वर्ष पहले, तेल मूल्यों में दो बार हुई भारी वृद्धि से, सारे विश्व में मुद्रा स्फीति की स्थिति पैदा हो गई। तब से कोई भी देश इससे उठ नहीं पाया है। हालांकि उन देशों को, जिनके यहाँ तेल है, या जिन्हें तेल की आवश्यकता नहीं है, इस समस्या का सामना नहीं करना पड़ा है। जिस प्रकार से कुछ थोड़े से देशों ने किया था, उसी प्रकार हम भी 1974-75 में मुद्रास्फीति पर नियन्त्रण करने में समर्थ हो सके।

अन्य देशों ने इस बात को सार्वजनिक रूप से और अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में स्वीकार किया है।

1977 तक मूल्य स्थिरता रखी जा सकी। लेकिन 1979-80 में स्थिति बिगड़ गई। कीमतें 22 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ी। 1980 में भी हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ा। इन बातों को दोहराना मैं पसन्द नहीं करती, परंतु चूंकि आप बार-बार आरोप लगाते रहते हैं, इसलिए मुझे उत्तर देना पड़ता है। हमने मुद्रा स्फीति को नियन्त्रित करने के लिए कठिन परिश्रम किया और 1980-81 में यह कम होकर 15% रह गई। 1981-82 में यह लगभग 2.5 प्रतिशत थी। 22 से 2.5% के अन्तर पर जरा नजर डालें, दुर्भाग्यवश, फिर कुदरत ने अपना रूप दिखाया और हमें अत्यन्त गम्भीर सूखे का सामना करना पड़ा। फिर भी हम 1982-83 में मुद्रा स्फीति 6.5% रखने में कामयाब रहे। लेकिन इन दो लगातार वर्षों में वर्षा न होने के कारण; चालू वर्ष के लिए समस्याएँ पैदा हो गई हैं।

श्रीमन्, फिर भी, हमने चतुराई से व्यवस्था करके 1979-80 वाली स्थिति पैदा नहीं होने दी। हमने क्या कार्य किए ? कृषि उत्पादन बढ़ाने का हमारा एक गहन कार्यक्रम था। उस बहुत ही खराब वर्ष में भी, 1979-80 के मुकाबले में उत्पादन में कमी बहुत कम थी।

कल या परसों, एक माननीय सदस्य ने टिप्पणी की थी कि उत्पादन में आपका क्या योगदान है ? वर्षा अच्छी हुई थी। वर्षा तो कई वर्षों तक अच्छी हुई और कई वर्षों में खराब हुई। अभी मैंने

आपको बताया कि कैसे कम वर्षा वाले वर्ष में भी हमने स्थिति पर नियंत्रण रखा, जनता पार्टी के दो वर्ष के शासन के दौरान भी वर्षा बहुत अच्छी हुई थी। मैं भूल गई कि कौन से वर्ष में, लेकिन दो वर्षों से वर्षा बहुत अच्छी हुई। एक वर्ष बुरा था। लेकिन फिर भी उत्पादन नहीं बढ़ा। उत्पादन में कैसे वृद्धि होती है? यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किसानों की किस प्रकार से सहायता करते हैं। हमने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में भी काफी विस्तार किया है, शायद, आपको याद होगा कि, जनता पार्टी के शासन के दौरान ज्यादातर ये दुकानें बन्द रहती थीं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : हम इनमें विश्वास नहीं करते। हमें इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप उनमें विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन हम उचित वितरण में विश्वास रखते हैं। इसलिये यह हमारा कर्तव्य है कि हम वे सब सम्भव प्रयत्न करें, जोकि हम इसके विस्तार के लिए कर सकते हैं।

1980 में उचित दर की 2.36 लाख दुकानें थीं। अब इनकी संख्या 2.97 लाख हो गई है। इस वितरण प्रणाली द्वारा आवश्यक वस्तुओं के वितरण में वृद्धि की गई है। 1982 में 1.5 करोड़ टन रिकार्ड अनाज इन दुकानों के जरिये वितरित किया गया और मैं समझती हूं कि 1983 में इससे भी अधिक अनाज बांटा गया, इस समय मेरे पास सही आंकड़े नहीं हैं। सही समय पर आयात करके सार्वजनिक स्टाक में वृद्धि की गई हैं। मुद्रा सप्लाई पर नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही की गई और मुद्रा सम्बन्धी नीति को सख्त किया गया। बजट को देखते हुए निर्यात पर नियंत्रण रखा गया और हमने सरकारी खर्च को कम करने की हर सम्भव कोशिश की। कई क्षेत्रों में इसमें कमी की गई, लेकिन मैं मानती हूं कि मैं इससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं हूं। औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने के लिए उत्पादन शुल्क में राहत आदि देकर प्रोत्साहन दिए गए है। इस नीति के अच्छे परिणाम निकले हैं।

सितम्बर, 1983 तक मूल्यों में काफी वृद्धि होती रही है। उसके बाद मूल्यों में कमी आई है। हम बराबर सतर्कता रख रहे हैं और हम आवश्यकता के अनुसार और कदम उठाने में नहीं हिचकिचायेंगे।

बजट में कई एक आवश्यक उपभोक्ता मदों पर शुल्कों में छूट दी गई है। यह सुनिश्चित करना होगा कि इन छूटों का लाभ उपभोक्ताओं को मिले। यह हमारी एक बड़ी समस्या है। सरकार इस पर निगरानी रखेगी।

विपक्ष के हमारे माननीय मित्रों ने हमारे 5 प्रतिशत के औद्योगिक विकास के दावे पर अपत्ति की है क्योंकि 1978-79 और 1982-83 के बीच औसत विकास दर कहीं कम थी। वास्तविकता यह है कि 1979-80 में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई और वृद्धि की नकारात्मक दर 1.4 प्रतिशत थी। परन्तु 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के तीन वर्षों में औद्योगिक विकास दर 5.5 प्रतिशत रही। मुझे विश्वास है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि बरकरार रहेगी। हमें औद्योगिक उत्पादन के बारे में चिंता है और जिन कुछ क्षेत्रों में इसमें कमी आई है उनके लिए हम चिंतित हैं। लेकिन पिछले चार वर्षों के दौरान जो महत्वपूर्ण सफलता मिली है उसे हम नकार नहीं सकते, नहीं किसी को उन्हें कम करके देखा जाना चाहिए। इसका एक सरल उदाहरण तेल है जोकि भाग्यवश हमें कई स्थानों पर प्राप्त हुआ है। यह भी सही प्रकार से इसके निकालने और इसे उपलब्ध करने की नीति के प्रश्न हैं।

जैसा कि आप जानते हैं कि स्वदेशी तेल उत्पादन में काफी वृद्धि हुई हैं। यह कैसे हुआ ?—राष्ट्रीय दृढ़ संकल्प द्वारा। भाग्यवश यह एक ऐसा क्षेत्र है, जहां कि प्राकृतिक विपत्तियां नहीं आतीं, हालांकि यह एक खतरनाक क्षेत्र है। कई उद्योगों में प्राकृतिक विपत्तियाँ आती रहती हैं। फिर भी, कई एक उद्योगों जैसे, सीमेंट, बिजली उत्पादन और कोयला क्षेत्रों में हमने काफी अच्छी वृद्धि की हैं।

मुख्य समस्या उत्पादन क्षमता का अधिक उपयोग करने की है। हम इस पर क्षेत्रवार और संयत्रवार विचार कर रहे है।

सभा जानती है कि कुछ लम्बी अवधि के आधार-भूत ढांचे के कार्यक्रम हैं। उनमें से सबसे बड़े हैं—पुराने संयंत्रों के और प्रबन्धकीय तरीकों का आधुनिकीकरण करना; इस पर हम नीति संबंधी कार्यवाही कर रहे है।

औद्योगिक मजदूरों की समस्याओं से हम बहुत चिन्तित हैं। अगर किसान राष्ट्र की नींव है तो मैं कहूंगी कि औद्योगिक मजदूर, आधुनिक राष्ट्र के रीढ़ हैं।

एक मामला जो कि बार-बार उभरता है और चिन्ता का विषय है—भ्रष्टाचार का मामला है। यह वहां व्याप्त है। इस तथ्य को हम मानते है और यह एक ऐसी चीज है, जिसे दूर करने के लिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए और सभी स्तरों और सभी सम्भव तरीकों से इसे दूर करना चाहिए। सरकारी अभिकरण इसको रोकने के लिए और दोषी व्यक्तियों को दंड देने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

ये पेचीदे मामले हैं और इनका हल इतना आसान नहीं हैं। जनता को सतर्क रहने की आवश्यकता है और लोग हमारी जानकारी में थे मामले ला सकते हैं। जब कभी ऐसे मामले हमारी जानकारी में लाये जायेंगे तो मैं सभा को आश्वासन देती हूं कि पहले भी मैंने इसकी कार्यवाही की हैं। और आगे भी मैं प्रत्येक मामले पर समुचित कार्यवाही करवाऊंगी।

लेकिन इसके प्रति उदासीन रहने से भ्रष्टाचार को संरक्षण मिलता है इन मामलों में उदासीन रहने से कोई लाभ नहीं है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध हमें लगातार लड़ाई लड़नी है। कुछेक ठोस उपाय किये गए है, जिनके लिए हमें लोगों के सहयोग की आवश्यकता होगी। वास्तव में शायद ही कोई ऐसा कार्यक्रम हो जो जनता के सहयोग के बिना सफल हो सकता हो।

परसों, सभा में, पंजाब की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। मैं विश्वास करती हूं कि मैं उनके भाषण का प्रथम अंश नहीं सुन पायी—विपक्ष ने मेरे माननीय मित्र ने कुछ कहा कि, मैंने यह नहीं कहा कि सरकार का इस बात पर क्या विचार है। अब चूंकि गृह मंत्री ने इस पर विस्तार से कह दिया है, इसलिए मैं समझती हूं कि इसे दोहराने में कोई फायदा नहीं है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : जो कुछ उन्होंने कहा है, क्या वह सरकार का दृष्टिकोण है, क्योंकि हमने देखा है कि सरकारी दृष्टिकोण में कई एक विरोधाभास है ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : सरकारी दृष्टिकोण में कोई विरोधाभास नहीं है। कभी हमने इसका हल रखा। लेकिन मगर इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो स्वभावतः हमें सारे मामले पर पुनः विचार

करना होगा लेकिन हममें इन मामलों पर कोई मतभेद नहीं है। हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह से स्पष्ट कर दिया है। मूल मुद्दा जिसका कल भी मैंने उल्लेख किया था, जोकि मैं पुन. कहना चाहती हूं, यह है, कि साम्प्रदायिता, हिंसा और आतंकवाद को राष्ट्र से पूरी तरह उखाड़ फेंकना होगा। देश की मौलिक एकता और स्थिरता के लिए साम्प्रदायिकता एक सबसे बड़ा खतरा था और आज भी यह हमारे देश की एकता और स्थिरता के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। यह फासिस्टवाद का भारतीय रूप है और इसके विरुद्ध लड़ाई में मैं किसी प्रकार का समझौता नहीं कर सकती। हमारी लड़ाई उग्रवाद और उग्रवादियों की अलागाववादी विचारधारा के विरुद्ध है। उग्रवाद हमारे सभी वर्गों, चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या कोई और लोग हों। और सारे राष्ट्र के हितों के विरुद्ध हैं। सिख गतिशील और उद्यमशील लोग हैं, जिन्होंने न केवल पंजाब बल्कि सारे राष्ट्र के निर्माण में काफी योगदान किया है। अगर आप भारत में भ्रमण करें तो आप देखेंगे कि शायद ही कोई ऐसा स्थान हो जहां सिख नहीं रहते। शुरू में हमें बताया गया था कि कुछ कौमें वीर कौमें थीं, कुछ में यह गुण है कुछ में नहीं। अब हम जानते हैं कि जब लोगों को प्रशिक्षण दे दिया जाता है, तो किसी भी राज्य के लोग साहस या अन्य प्रकार की योग्यता या क्षमता आदि के गुण प्रदर्शित करते हैं।

सिखों के प्रति मेरे मन में एक विशेष जगह है क्योंकि विभाजन के समय उन्हें काफी कठिनाइयां सहनी पड़ीं और किस तरह से वे पुन: अपने पैरों पर बिना शिकायत के खड़े हुए है। लोगों के इन्हीं गुणों की मैं प्रशंसक हूं और कई दफा मैंने इनका विशेष उल्लेख किया है। उनकी खुशहाली और उन्नति सारे देश की खुशहाली और उन्नति से सम्बद्ध है, लेकिन यह खुशहाली और उन्नति तभी सम्भव है, जब कि पंजाब में उनके पड़ौसी और अन्य प्रदेशों के लोग भी उन्नत, खुशहाल हों और उनमें परस्पर सदभाव हो। मैं नहीं समझती कि एक समुदाय जिसने कि खुद इतना कष्ट सहा हो वह इस बात की अनुमति कैसे दे सकता है कि एक छोटा सा अल्पसंख्यक उग्रवादी ग्रुप इस भाई चारे और विश्वास को कमजोर कर दे। मैं नहीं जानती कि क्या यह विशेष ग्रुप देश-विरोधी है या उनका क्या उद्देश्य है, लेकिन विश्चित रूप से एक बहुत छोटा तत्व है--मैं नहीं जानती कि इनके लिए क्या शब्द प्रयोग करूं यह भ्रम, घृणा और अविश्वास, संदेह पैदा करने पर तुला हुआ है जिसके कारण हिंसा और उग्रवाद को बढ़ावा मिला है। मैं अपने उन माननीय मित्र से सहमत हूं, जिन्होंने कहा कि ऐसा भ्रम नहीं होना चाहिए कि एक राजनैतिक दल है और उग्रवादी है। उनका इस छोटे से उग्रवादी ग्रुप से कोई सम्बन्ध नहीं है।

जिस तरह से मैं पंजाब में हुई हत्याओं की निंदा करती हूं उसी तरह से हरियाणा में हुई हत्याओं और घटनाओं की भी निन्दा करती हूं। इस प्रकार के प्रतिशोध से कुछ भी प्राप्त नहीं होता हैं। इससे किसी को बल नहीं मिलता। वास्तव में वे प्रतिक्रिया स्वरूप कार्य हैं, क्योंकि इससे हिंसा संदेह को बढ़ावा मिलता है और इससे साम्प्रदायिकता की भावना को बल मिलता है। यही बातें दूसरी साम्प्रदायिक घटनाओं जो कि कुछ समय पहले हमारे देश के कुछ हिस्सों में हिन्दू-मुस्लिम के बीच और देश के शेष अन्य भागों में ईसाइयों और अन्य लोगों के बीच हुई थीं, के बारे में सत्य है। ये प्रवृत्तियाँ देश के लिए खतरनाक हैं। जिन देशों और राज्यों में ये होती हैं उन्हें वे कमजोर बनाती हैं। ये हमारे सारे राष्ट्र को कमजोर बनाती हैं और हमें कम से कम इस एक मामले पर एक हो जाना चाहिए और स्पष्ट रूप से कहना चाहिए कि हम इस प्रकार की घटनाओं को नहीं होने देंगे। न केवल यह हम सब के लिए बुरी बात है, बल्कि यह इन समुदायों के लिए भी बुरी बात है और

वैयक्तिक चरित्र के लिए भी बुरी है। बुरा होने के अलावा ये आर्थिक सामाजिक और वैयक्तिक रूप से भी बुरा है और हम कमजोर होते हैं। अगर वे लोग जो इन सब बातों में भाग नहीं भी लेते हैं, अगर वे इन सबके के बीच इस प्रकार के घृणा और कटुतापूर्ण माहौल में रह रहे हैं, तो मानव के रूप में भी वे भी कमजोर होते हैं।

दुर्भाग्यवश, कुछ गलत प्रचार किया जा रहा है, इसमें से ज्यादातर विदेशों में गुमराह तत्वों द्वारा किया जा रहा है जो कि राष्ट्र के सम्मान के विरुद्ध हैं और मैं समझती हूं कि हम उन ग्रुपों जोकि विदेशी एजेन्टों की कठपुतली के रूप में कार्य कर रहे है, की उपेक्षा नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उनकी संख्या बहुत कम हो सकती है, लेकिन अगर आप विदेशी समाचार पत्रों को देखें तो उनकी संख्या या कार्यों की अपेक्षा बहुत अधिक प्रचार किया जा रहा है। और आमतौर पर धारणा यह हैं कि सारा देश जल रहा है, हर कोई, एक दूसरे को मार रहा है। जबकि होता यह है जहाँ कहीं इस प्रकार की घटनाएं होती हैं तो ऐसे हजारों उदाहरण मिलते हैं जब इस स्थिति में अपने पड़ोसी की मदद करने के लिए सभी धर्म के लोग, चाहे वे हिन्दू, मुस्लिम, सिख और ईसाई हों, एक दूसरे की जी-जान से सहायता करते हैं। और हमें इसी प्रकार के वातावरण को बनाये रखना है।

विपक्ष के एक माननीय सदस्य ने एक सुझाव दिया था कि हमें शान्ति ब्रिगेड, शान्ति समितियां या शान्ति मार्च आयोजित करने चाहिए।

मैं पूरी तरह इसके हक में हूं, लेकिन हमें इसे बारे में आश्वस्त होना होगा कि इन जालूसों में भाग लेने वाले सभी व्यक्ति वास्तव में शांति चाहते हैं, लेकिन हमारे कुछ अनुभव थोड़े भिन्न रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : कृपया विश्व शांति परिषद के बारे में भी आश्वस्त हो जाएं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : फिर परस्पर लड़ाई कृपया ऐसा सदन से बाहर करें।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : वे विदेश नीति में आपके साथ हैं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : वे किसी भी विषय में हमारे साथ नहीं हैं। कभी-कभी वे ऐसा कहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि इससे उन्हें सहायता मिलेगी।

कल या परसों मैंने इस सदन में वा दूसरे सदन में कहा था कि पंजाब में मूल समस्या अकाली दल द्वारा रखी गई मांगों की नहीं हैं। हमारे जैसी प्रजातांत्रिक प्रणाली में किसी भी वर्ग की उचित मांगों की चर्चा तथा बातचीत के द्वारा सुलझावा जा सकता है। लेकिन यहां मूल समस्या उग्रवादिता के तत्व की है जिसके साथ हिंसा का विवेकहीन तथा विध्वंसक दर्शन हैं। हिंसा तथा आतंकवाद को समस्या के सुलझाने में लाभांश बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने कहा था कि कुछ लोग यह चाहते है कि बातचीत सफल न हो। मेरे कहने का भी यही तात्पर्य था। जब मैंने कहा कि मैं नहीं जावती कि परिणाम क्या होगा, तो यही कुछ मेरे दिमाग में था ; मैं जावती थी कि कुछ लोग हमारे बीच मतभेद बनाये रखना चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : मैंने कहा था कि बातचीत के सिवाय और कोई विकल्प नहीं हैं, चाहे आप शुरू में असफल क्यों न हो जाएं ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आपने जो कुछ कहा था, मैं उस पर आपत्ति नहीं कर रही हूं। आपने इस टिप्पणी विशेष से पहले या बाद में कहा था कि मेरी अभिव्यक्ति यह प्रकट करती है कि मैं समझती थी कि त्रिपक्षीय वार्ता सफल नहीं होगी । इसी तरह की कुछ बात आपने कही ।

(**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : आप अनिच्छुक थीं ।)

उसी के उत्तर में मैं बोल रही हूं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि हमें बातचीत नहीं करनी चाहिए। मैंने यह कहा था कि क्योंकि मैंने महसूस किया और कुछ जानकारी मुझे थी कि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो वार्त्ता को भंग करना चाहते हैं और तभी मैंने बातचीत की सफलता के बारे में कुछ शंकाएं जाहिर कीं। इस बात के बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि किसी की विवाद को समाप्त करने के लिए बातचीत ही एकमात्र रास्ता हैं, चाहे यह विवाद राष्ट्रीय हो या अन्तर्राष्ट्रीय । किसी के द्वारा इन झगड़ों को गलियों में ले जाने के लिए प्रोत्साहित करने का कोई प्रश्न नहीं है। हम इसका जोरदार विरोध करते हैं । मैं एक बार फिर सभी राजनीतिक दलों तथा ग़ैर-राजनीतिक लोगों की इस जिम्मेदारी पर बल दे रही हूं कि वे आतंकवाद के खतरे को समझें, उस खतरे को समझें जो हम पर है तथा जो खतरा यह पैदा कर रहा हैं, जो मौका यह उन लोगों को दे रहे हैं जो अधिक विनाश चाहते हैं ताकि वे हस्तक्षेप कर सकें ।

कश्मीर में भी पृथकतावादी तथा कुछ साम्प्रदायिक संगठनों की संगठित गतिविधियों के कारण स्थिति गड़बड़ वाली है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा तथा देश की अखंडता के लिए चुनौती बने हुए हैं। जैसे कि एक माननीय सदस्य ने कहा है कि राष्ट्रध्वज का अपमान करना संविधान के अपमान करने से कम नहीं है। विपक्ष ने इस बारे में क्यों नहीं बोला ? केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को लिखा है। कठोर तथा प्रभावकारी कार्यवाही और लगातार चौकसी की आवश्यकता है, और हम इसके लिए जोर देते रहते हैं ।

इंगलैंड में हमारे अधिकारी श्री म्हात्रे की हत्या ऐसे ही कुछ राष्ट्र विरोधी संगठनों की गतिविधियों के परिपेक्ष्य में देखी जानी चाहिये ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज़ (बारामूला) : कम से कम जम्मू कश्मीर मुक्ति मोर्चे का जम्मू और कश्मीर से कोई सम्बन्ध नहीं है, जो कि भारत का एक अंग है ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : राजनीतिक मतभेदों के बावजूद, इन तत्वों को अलग-अलग करने तथा इनका सामना करने के लिए सभी को एकजुट हो जाना चाहिए। किसी राजनीतिक या अन्य दल की जम्मू तथा कश्मीर में जीत या हार का प्रश्न नहीं है। प्रश्न धर्म-निरपेक्षता तथा प्रजातंत्र के मूलभूत सिद्धान्त पर देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने का है। जब हम देखते हैं कि इन बहुमूल्य उद्देश्यों को खतरा है, तो हमें इसके विरुद्ध आवाज उठानी पड़ती है । यदि हमने इस प्रकार के खतरे के संकेत न देखे होते, तो मैंने अपनी आवाज न उठाई होती ।

अब, हम यह बात सुनते-सुनते अभ्यस्त हो गए हैं कि कभी पाकिस्तान कहता है कि भारत ने पाकिस्तान के अस्तित्व के साथ सामंजस्य स्थापित नहीं किया गया है। यह एक पुरानी शिकायत है जिसका हम बार-बार खंडन कर चुके हैं। पाकिस्तान का बनना एक ऐसी बात थी जिससे हम सहमत थे। चाहे हम इससे खुश थे या नहीं, मुद्दा यह नहीं है। हम इससे महमत थे, हसने इसे स्वीकार किया है और हम इसके साथ निभा रहे हैं तथा सह-अस्तित्व में विश्वास करते हैं।

क्योंकि मैंने कहा था कि हमारी प्रणाली प्रजातंत्रीय है, एक संवाददाता—मैं भूल रही हूं कि वह कौन था या थी—द्वारा यह पूछे जाने पर की 'अच्छा, पाकिस्तान के बारे में आपकी क्या राय है;' मैंने उत्तर दिया था, "देखिए, हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते है, लेकिन दूसरे देशों में किस ढंग की सरकार हो, यह फैसला करना उनका काम है।" क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं, हम चाहेंगे कि अन्य देश भी प्रजातंत्रीय हों। लेकिन वे कौन सी प्रणाली की सरकार चाहते है, यह फैसला करना उनका अपना काम है। मैंने इतना ही कहा था—जिसके लिए मेरे विपक्षी माननीय मित्र यह कहते है कि मैं आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रही हूं, कौन सा बयान ··

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सोवियत संघ में प्रजातंत्र के बारे में आपका क्या विचार है ? आप इस बारे में क्यों नहीं बोलतीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : आप जानते है, परेशानी यह है। दुर्भाग्यवश, आप टोपी नहीं पहनते। अन्यथा अंग्रेजी में एक कहावत है, "टोपी में मधुमक्खी हैं।" यह वह मधुमक्खी है जो हमेशा आपके दिमाग में भिनभिनाती रहती है। आप नहीं समझ सकते। वही आपको इन सभी मुद्दों को स्पष्टता से समझने से रोकती है। हमने यह नहीं कहा है कि हम सोवियत संघ की प्रणाली का समर्थन करते है। विपक्ष में इस ओर इन मित्रों से हमारी यही लड़ाई है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : सुनिए, सुनिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : हमारी अपनी प्रणाली है। उनकी अपनी प्रणाली हैं और मैं नहीं समझती कि वे हमारी प्रणाली में हस्तक्षेप कर रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप नहीं समझती।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी हां, मैं नहीं समझती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : इन्हें व्यावहारिक प्रशिक्षण के लिए सोवियत संघ भेज दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि डा० स्वामी को रूस भेज दीजिए।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उनकी अपनी···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपकी ओर से सोवियत संघ के स्वर्गीय नेता श्री एन्ड्रोपोव को भेजा गया एक पत्र था। क्या यह हस्तक्षेप नहीं था ? क्या आप उन्हें देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने के लिए निमंत्रित नहीं कर रही थीं ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : जी नहीं, माननीय सदस्य। मैं आपको बता दूं कि मैंने ऐसा नहीं किया। हमारे बीच अनेकों पत्रों का आदान-प्रदान हुआ है, जो···

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : इसमें क्या लिखा था ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं नहीं बताऊंगी, यदि मैं इसके विषय की चर्चा करूंगी तो आप चाहेंगे कि इसे सदन के पटल पर रखा जाए। यदि आप मेरे कक्ष में आएं तो मैं बताने के लिए राजी हूं, क्योंकि इसमें कुछ भी गोपनीय नहीं था। यह एक बहुत संक्षिप्त, पाँच पंक्ति का पत्र था, पांच या दस पंक्ति का, इससे अधिक नहीं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : केवल पांच पंक्ति का ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यह एक बहुत छोटा सा पत्र था, किसी विशेष अवसर के लिए लेकिन मैं इसे सभा-पटल पर नहीं रखूंगी। इसीलिए मैं आपको यहां नहीं बताऊंगी। मैं आपको कहीं अन्यत्र बताने को तैयार हूं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उस पत्र को प्रेषित करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो के एक अधिकारी की सेवाओं का उपयोग क्यों किया गया ?

श्रीमती इन्दिरा गांधी : उसकी सेवाओं का कोई प्रश्न नहीं था। मान लीजिए आप मेरे पास आते हैं और कहते हैं, "क्या आप ऐसा—ऐसा संदेश मुझे देंगी ?" मैं कहूंगी 'हां', बशर्ते कि जो कुछ आप कह रहे हैं, मैं उससे सहमत हूं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : लेकिन यदि आपने एन्ड्रोपोव को यह लिखा था कि कृपया श्री इन्द्र-जीत गुप्त को अनुशासन में रखें, तो इसमें केवल पांच पंक्तियां लगीं, इससे अधिक नहीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : लेकिन, बात यह है कि मैं इतना कह सकती हूं मैंने यह नहीं लिखा था।

मैं बार बार की जाने वाली इन शिकायतों से अप्रसन्न हूं कि भारत पाकिस्तान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता और मुझे दुःख है कि कभी कभी माननीय सदस्य भी इसी लय में बातें करने लगते हैं। इससे राष्ट्रीय हितों को लाभ नहीं पहुंचता। मैं स्पष्ट तौर पर आपको बता दूं कि मैं इस प्रकार की भावनाओं को मैं बिल्कुल नहीं समझ पाती जबकि मैंने स्वयं न केवल अपनी नीति की घोषणा ही की है, बल्कि उस पर अमल भी किया है। आपको याद होगा कि मैंने ही पाकिस्तान तथा चीन के साथ मित्रतापूर्ण सम्बन्ध स्थापित करने में पहल की। मुझे आशा है कि आप इससे खुश होंगे।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : अब वह प्रसन्न हैं। आपने इसका ख्याल रखा है। मुझे आशा है कि आप इसे जारी रखेंगीं।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : मैं इसे जारी रख रही हूं। लेकिन, इस तथ्य के बावजूद सीमा के उस पार से ऐसे बयान दिए जाते हैं जो बेहतर वातावरण बनाने में सहायक नहीं हैं। मैं हथियारों के प्रश्न में नहीं जाना चाहती, लेकिन यह ऐसी बात है जो हमारे लिए चिन्ता का विषय है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे भी कोई पत्र दे दीजिये।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : यदि आप पत्र के लिए आयें तो मैं लिखने के लिए खुश हूंगी कि कृपया इन हथियारों को न लो। (डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे एकतरफा टिकट दे दो)।

अतएव, इसमें कोई सन्देश नहीं कि हम न केवल पाकिस्तान और चीन से बल्कि अपने सभी पड़ोसियों से बेहतर सम्बन्ध स्थापित करना चाहते हैं। आप जानते हैं कि श्रीलंका में हमने कितने अधिक संयम से काम लिया है, यद्यपि उस मामले में हमारे माननीय मित्र के विचार बिलकुल भिन्न थे। आपको याद होगा कि उन्होंने हमारी सेना को भेजे जाने के बारे में क्या मांग रखी थी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल वृद्धिमतापूर्ण मांग ।

श्रीमती इन्दिरा गांधी : इसमें आप इस सदन में अलग-अलग पड़ गए हैं जो कि एक अच्छी बात है। अब, जैसे कि मैं कह चुकी हूं, यह हमारी नोति है कि हम अपने सभी पड़ोसियों, जैसे बंगलादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और चीन, का सम्मान करें, और उनके साथ अच्छे पड़ोसियों जैसे सम्बन्ध बनाने में हम कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। हमने दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग स्थापित करने में सक्रिय भूमिका निभाई हैं, जो पिछले वर्ष सात सम्बन्धित देशों के विदेश मंत्रियों ने शुरू किया था और जिसने अब कुछ गति पकड़ ली है। हम इस कदम का स्वागत करते हैं।

लेकिन, हमारे क्षेत्र की स्थिति को समूचे विश्व के आम वातावरण से अलग रखकर नहीं देखा जा सकता। माननीय सदस्य जानते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण में तनाव का वह शैथिल्य पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है जिससे नए वातावरण का बिर्माण होने लगा था, यदि मित्रता का नहीं तो कम से कम सहयोग और मित्रता को दिशा में अग्रसर होने वाला वातावरण। लेकिन, आज बहुत तनाव तथा टकराव है। ईरान और ईराक, जो हमारे अच्छे मित्र हैं, के बीच चल रहे युद्ध में मरने वालों की संख्या चिंताजनक सीमा तक पहुंच गई है और इससे हमें तीव्र वेदना है। हम शांति, विश्वास तथा परस्पर सम्मान का वातावरण चाहते हैं ; दूसरे शब्दों में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के सिद्धान्त का सच्चे दिल से पालन। वह अब पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है। परमाणु हथियारों की होड़ को समाप्त करने के लिए भारत बहुत प्रयत्न कर रहा है। ये दो मुख्य प्रश्न हैं ; अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्न जो यहां आए प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिन्ता का विषय है ; और हमारे यहां पूर्व से, पश्चिम से, राजनीतिक पूर्व तथा पश्चिम दोनों से तथा भौगोलिक पूर्व तथा पश्चिम से नेता आए थे तथा उन्होंने भी इन दो प्रश्नों पर अपनी चिंता व्यक्त की थी, पहला है परमाणु हथियारों का जमाव तथा युद्ध को अंतरिक्ष में ले जाना आदि और दूसरा है अमीर तथा विकासशील देशों में बढ़ती हुई असमानता। यह अवश्य कम होनी चाहिए। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों के समर्थन में मेरी सरकार समर्पित है। सारे विश्व को शांति की आवश्यकता है, लेकिन, हम विकासशील देशों को औद्योगिक देशों की तुलना में कहीं अधिक आवश्यकता है। क्योंकि हमें एक और लड़ाई लड़नी है, यह लड़ाई गरीबी के विरुद्ध है, अल्पविकास के विरुद्ध है, तथा हमें इस लड़ाई को जीतने तथा देश को आगे ले जाने के लिए आंतरिक तथा बाह्य शांति तथा सद्भाव की आवश्कता है।

17.00

महोदय, राष्ट्रपति का अभिभाषण घटनाओं की समीक्षा वार्षिक अवसर प्रदान करती है। नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना संसदीय जीवन तथा इस वाद-विवाद की सामान्य बात है तथा हम इसे स्वीकार करते हैं। लेकिन, मैं आशा करती हूं कि माननीय सदस्य प्रगति की व्यापक दिशा की ओर देखेंगे। निस्संदेह मैं समस्याओं की समीक्षा को या प्रगति के लिए तय किए जाने वाले लम्बे रास्ते को कतई कम करके नहीं करना चाहती, लेकिन मुझे भारत की जनता में पूरा विश्वास है और मुझे यकीन है कि यदि हम कम से कम इन विघटनकारी शक्तियों का सामना करने के लिए एकजुट होकर

काम करें तो हम कहीं अधिक प्रगति कर सकते हैं जिससे समूचे देश को लाभ होगा। हमारे सभी कार्यक्रमों को उसी परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए जिसमें आज हम काम कर रहे हैं। लोगों को इस स्थिति में, जो कि न केवल हमारे देश, बल्कि हमारे आस-पास के अन्य देशों में भी बनी हुई है, राष्ट्र-निर्माण में आने वाली कठिनाइयों को समझना चाहिए।

मैं सभी सदस्यों को उनके धैर्य के लिए धन्यवाद देती हूं तथा राष्ट्रपति के अभिभाषण को पारित करने की सिफारिश करती हूं तथा उन सभी से, जिन्होंने संशोधन प्रस्तुत किए हैं, अनुरोध करती हूं कि वे उन्हें वापस ले लें।

धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय : सदस्यों ने प्रस्ताव पर कई संशोधन प्रस्तुत किए हैं। मैं सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं मुख्य प्रस्ताव को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति की सेवा में निम्नलिखित शब्दों में एक समावेदन प्रस्तुत किया जाए :

"कि इस सत्र में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के प्रति उनके अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने 23 फरवरी, 1984 को एक साथ समवेत संसद की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की हैं, अत्यंत आभारी हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

17.03

उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प और उद्योग (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : सदन अब क्रम सं० 12 पर उल्लिखित सांविधिक संकल्प तथा क्रम सं० 13 पर उल्लिखित उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पर एक साथ चर्चा करेगा, जिसके लिए ढाई घंटे का समय नियत किया गया है।